[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 29 मार्च, 2016

अधिसूचना
सं0 1/2016-सीमा शुल्क(एसजी)

सा0का0नि0- (अ) जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत "600 मिमि0 अथवा इससे अधिक चौडाई वाले क्वायलों में गैर मिश्रधातु और अन्य मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में सदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में महानिदेशक (रक्षोपाय) अपने प्रारंभिक निष्कर्ष, जो कि दिनांक 9 सितम्बर, 2015 की सा0का0नि0 सं0 690 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग-।।, खंड-3 , उपखंड (i) में दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित किए गए थे, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में विषयगत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात से विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग/उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंची है और क्षति पहुंचने का अंदेशा है जिससे भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम रक्षोपयाय डयूटी लगाया जाना अनिवार्य हो गया है;

और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2015 -सीमा शुल्क(एसजी) , दिनांक 14 सितम्बर, 2016 जो कि भारत के राजपत्र ,असाधारण भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 694(अ) के अंतर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित की गई थी, के तहत भारत ने विषयगत वस्तुओं के आयात पर 14 सितम्बर, 2015 से 200 दिन के लिए अनंतिम रक्षोपाय डयूटी लगाई है ;

और जबकि महानिदेशक रक्षोपाय ने अपने अंतिम निष्कर्षों , जो कि भारत के राजपत्र भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 308(अ) के अंतर्गत दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्रकाशित किए गए थे , में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर अनंतिम रक्षोपयाय डयूटी उद्ग्रहित किए जाने की तारीख से 2 वर्ष और 6 माह के लिए रक्षोपाय डयूटी लगाए जाने की सिफारिश की है;

अब अत: सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय डयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2015-सीमा शुल्क(एसजी) दिनांक 14 सितम्बर, 2015, जो कि सा0का0नि0 694(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के तहत प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार , महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निषकर्षों पर विचार करने के पश्चात और पैरा 2 के प्रावधानों के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208 अथवा टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं, जब वे भारत में आयात की जाती हैं तो उन पर निम्नलिखित दर से एतत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाती है , अर्थात:-

(क) 14 सितम्बर, 2015 से 13 सितम्बर, 2016(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(ख) 14 सितम्बर, 2016 से 13 मार्च, 2017(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 18 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(ग) 14 मार्च, 2017 से 13 सितम्बर, 2017(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 15 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(घ) 14 सितम्बर, 2017 से 13 मार्च, 2018(इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

2. यह रक्षोपाय डयूटी, भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) की दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं0 38/2015-2020, जो कि भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग -।।, खंड-3, उपखंड (ii) में का0 आ सं0 391(अ) के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी, 2016 को प्रकाशित की गई थी, की शर्तों के अनुसार ऐसी विषयगत वस्तुओं जो कि न्यूनतम आयात मूल्य पर अथवा इससे अधिक मूल्य पर आयात की जाती है, पर नहीं लगाई जाएगी ।

3. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जनवादी गणराज्य और उक्रेन के अलावा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा(6) के खंड (क) के अंतर्गत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण-विषयगत वस्तुओं के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

क. 600 मिमि0 से कम नाममात्र की चौडाई वाले इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
ख. एपीआई ग्रेड स्टील;
ग. सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;
घ. स्प्रिंग इस्पात गुणवत्ता वाले इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
ङ. इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो कि जिंक के साथ इलेक्ट्रोलाइटिकल रूप से प्लेटिड अथवा कोटिड हैं;
च. जिंक के साथ प्लेटिड अथवा कोटिड के अलावा इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
छ. जंग रहित इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लेट उत्पाद।

(फा0 सं0 354/219/2015-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार